1.14	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.15	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.16	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.18	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.19	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.20	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.21	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project
1.22	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.23	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.24	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife
1.25	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project
1.26	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dates 28.08.2015
1.27	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.71 ha **NFL**, Survey/Khasra No.-369, Village-Takha, Tehsil-anta, District-Baran of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
1.28	Nil tree felling shall be involved in the implementation of this project.
1.29	If the proposed area is part/out side of any Wildlife Sanctuary/National Park, User Agency shall be obtained Wildlife Clearance from competent authority as per the provisions of the extant, rules and regulation.

2. Standard Conditions

S.No.	Conditions
2.1	The User Agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 Years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side of the road before final clearance.
2.2	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.
2.3	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
2.4	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.
2.5	The User Agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report;
2.6	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.

3. Specific Conditions

S.No.	Conditions
3.1	The User Agency shall Construct 6 feet high wall along the boundaries of the non-forest land proposed for CA.
3.2	User Agency shall provide at its cost required number of Solar Pumps as given by the forest Department for irrigating the CA plantaion.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this **In-principle/stage-I** approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years

Your's faithfully

(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer/Head of Department
Regional Office, Gandhinagar
MoEF&CC, Govt. of India

DIPR/C/10606/2025

हरियाली,बारिश और उमंग के प्रतीक लहरिया थीम पर लिटिल स्टार आईकन बने बच्चे

कोटा, (निसं)। कैट वीमेन विंग जिला कोटा द्वारा आयोजित नन्हे बालक-बालिकाओं के लिये तलवंडी स्थित जाट समाज में लिटिल स्टार आईकॉन प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। कैट वीमेन विंग की अध्यक्ष नीलम विजय ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विजेता व उपविजेता बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुये पुरस्कृत किया।

■ **लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लहरिया को बताया राजस्थान की वैश्विक पहचान, विजेताओं को पुरस्कृत किया**

लिटिल स्टार आईकॉन प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि कैट वीमेन विंग जिला कोटा टीम के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुये कहा कि राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति को नए रंग में पेश किया है जिसमे छोटे बच्चे रंग-बिरंगी लहरियों में सजे-धजे राजस्थानी लोकगीतों पर केटवॉक करते हुये अद्भूत लग रहे है। घूमर नृत्य की लय और लोकधुनों की गूंज ने महोत्सव को राजस्थान की खूबसूरती व संस्कृति से भर दिया है। लोकसभा स्पीकर बिरला ने कोटा साड़ी व लहरिया की देशव्यापी व वैश्विक स्तर पर अनूठी पहचान को बताया। बिरला के साथ नन्हे बच्चो ने सेल्फी व फोटो लेने का उत्साह रहा। कैट वीमेन टीम ने ओम बिरला को लहरिया के रंग में रंगे साफे को पहनाकर व दुपट्टा पहना कर अभिनंदन किया। सचिव भाविका प्रीत रामानी ने अतिथियों का स्वागत करते हुये बताया कि लहरिया लिटिल स्टार आईकन प्रतियोगिता का शुभारंभ कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बी.पी.सारस्वत ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कुलगुरु प्रोफेसर बी.पी.सारस्वत ने कहा कि आज महिलायें व बच्चें किट्टी पार्टी व क्लब की ओर आकर्षित हो रहे है वहीं आज राजस्थान की संस्कृति से जुड़े आयोजन में नई पीढी को जुडा देखने का अवसर मिला।

जयपुर से सीधे कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि कोटा में पहली बार आयोजित यह कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राजस्थानी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और महिला सशक्तिकरण को मंच प्रदान करना भी है। लुप्त होती परंपराओं को जीवंत रखने और समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज गोयल संभागीय महिला अध्यक्ष सुमन गोयल, प्रदेश सचिव अशोक माहेश्वरी, कोटा ज़िलाध्यक्ष अनिल मूंदड़ा, डॉ.सपना अग्रवाल कांग्रेस महिला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका नंदवाना, समाजसेवी तृप्ति नागर, पार्षद योगेश आहलूवालिया, डॉ.रसीला भूरिया व खुशी शर्मा तथा टीम नक्षत्र के सदस्य रिचा विजय कीर्ति खंडेलवाल प्रीति जैन स्मिता पाटनी ने शिरकत कर प्रोत्साहित किया।

विजेताओं को विजेता व उपविजेता निर्णायक मंडल सुनिता जैन व दिव्या जैन रही। कार्यक्रम की उद्घोषिका अंकिता खंडेलवाल व शुभि गुप्ता ने राजस्थानी अंदाज मे की। अध्यक्ष नीलम विजय, सचिव भविका प्रीत रमानी कार्यकारी अध्यक्ष रिचा गुप्ता उपाध्यक्ष रक्षा नरूका,कोषाध्यक्ष डॉ. रूचि जौहरी मीडिया को ऑरडिनेटर कीर्ति मित्तल जैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स-चित्रांगी अग्रवाल, मधु विजय, आकांक्षा गुप्ता, नंदिनी श्रृंगी, अंकिता विजय, शुभी गुप्ता, नेहा प्रकाश, रीना विजय व सिया आडवाणी ने कार्यक्रम की सफलता में सहयोग किया।

'प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था का संगम है नागेश्वर मंदिर'

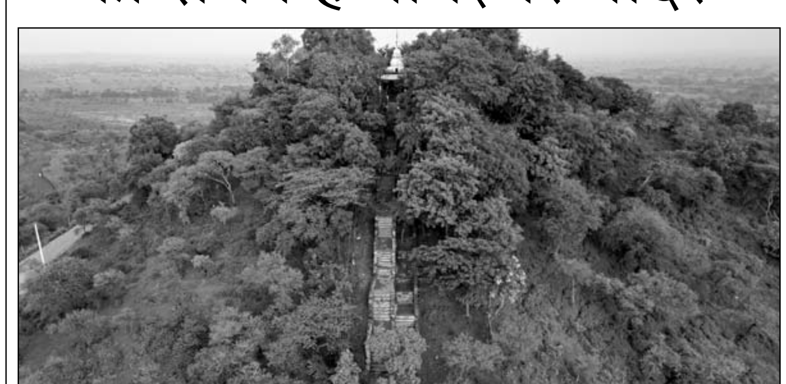

नागेश्वर मंदिर कस्बे की पहाड़ी पर स्थित है।

छबड़ा (निसं)। यहां की पहाड़ी पर स्थित नागेश्वर मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

हरियाली की अनूपम छटा से घिरी इस स्थल की खूबसूरती न केवल आँखों को सुकून देती है, बल्कि मन को भी शांति और आनंद से भर देती है। यह धार्मिक स्थल आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के लिए विषेश पहचान रखता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नागेष्वर बाबा का आशीर्वाद लेने के साथ ही इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद उठाते हैं। वर्षभर यहाँ श्रद्धालुओ की आवाजाही बनी रहती है, किंतु सावन में यह धार्मिक स्थल विशेष रूप से भक्तिमय वातावरण से भर जाता है, जब हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

मंदिर समिति से जुड़े लोग बताते हैं कि 22 अगस्त 1985 में नींव खुदाई के दौरान नागेष्वर बाबा की प्रतिमा का प्राकट्य हुआ था। पुरातत्व विभाग के कर्मचारी द्वारा प्रतिमा का परीक्षण कर यह प्रतिमा 2500 वर्श पुरानी बताई गई हैं। प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा 7 मार्च 1991 को हुई थीं। इसके बाद से ही यहां नागेष्वर बाबा भक्तो के दुःख, संकटो का निवारण कर रहे हैं।

श्रद्धालुओं को 148 सीढियां चढना पडता हैं। उसके उपरांत ही नागेश्बर बाबा के दर्षन होते हैं। प्राचीन शिवलिंग होने के कारण राजस्थान सहित मध्यप्रदेश के लोग भी यहां बडी संख्या में दर्शन करने आते हैं। इसी के साथ ही मां दुर्गा व हनुमानजी भक्तो के संकट हरते हैं।

नगरपालिका की ओर से प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर यहां पांच दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है। जिसमें रंगमंच पर प्रतिदिन कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। मेले में कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बडी संख्या में आते हैं। नागेश्वर सेवा समिति की ओर से महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर संगीतमय रात्रि जागरण कर दूसरे दिन नागेष्वर बाबा का मनमोहक श्रृंगार किया जाता है।

कोटा में ऐंथे 2025 का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। आकाश कोचिंग की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति परीक्षा आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम का शुभारंभ कोटा में रीजनल डायरेक्टर अखिलेश दीक्षित द्वारा किया गया। इस वर्ष भी कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 250 रुपए करोड़ तक की स्कॉलरशिप और 2.5 रुपए के करोड़ के कैश अवॉर्ड्स दिए जाएंगे। ऐंथे विगत 16 वर्षों से देशभर के लाखों छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। ऐंथे 2025 परीक्षा 4 से 12 अक्टूबर के बीच ऑनलाईन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। इच्छुक छात्र आकाश की वेबसाईट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इनरव्हील क्लब का पदभार सम्पन्न

छबड़ा (निसं)। इनरव्हील क्लब की नई कार्यकारिणी द्वारा पद ग्रहण किया गया। यहां अंजुबाला सोनी को सर्व सम्मति से पुनः अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, जिन्हे कॉलरपिन चार्टर प्रेसिडेंट डॉली जैन ने पहनाई।उपाध्यक्ष रानी सिंघल को आशा अग्रवाल द्वारा पिन पहनाई। सचिव पद पर एकता शर्मा को पूर्व अध्यक्ष नंदिनी पिन लगाई। कोषाध्यक्ष रेनू जैन को आशा अग्रवाल द्वारा पिन लगाई। आईएसओ पद पर पल्लवी जैन को अनीता शर्मा द्वारा पिन लगाई गई।

कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार 12 कारें व एक कार का इंजन जब्त

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने कार चोरी की दर्ज रिपोर्ट पर बड़ी कार्यवाही करते हुए कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे चोरी की गई 12 कारों सहित एक कार का इंजन बरामद किया है। पकड़े गये बदमाशों ने अलग-अलग क्षेत्रों से ईको कारों का अपना निशाना बनाया। पकड़े गये गिरोह के सदस्य पिछले लम्बे समय से कारें चोरी करते हुए आ रहे थे। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 30 जुलाई को परिवादी

■ **कारों को मॉडिफाई करके बेचते थे**

कोटा में कार चोर गिरोह के तीन आरोपियों को रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने चोरी की गई कारों सहित गिरफ्तार किया।

मोहम्मद आशिक ने रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवादी ने रिपोर्ट में कहा कि 27 जुलाई को एक सिल्वरी रंग की उसकी ईको कार जिसको घर के सामने लॉक लगाकर खड़ी की थी अगले दिन 28 जुलाई की सुबह जब घर के बाहर निकला और कार मौके पर नही खडी थी जिसको कोई अज्ञात चोरी करके ले गया। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया।

शहर एसपी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उपअधीक्षक गंगासहाय शर्मा के सुपरविजन में रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले में कड़ी मेहनत व लगन से काम किया। टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटैज खंगाले, टीम ने तकनीकी सहायता व मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने कार चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सूर्य नगर निवासी सैययद औसाफ अली उर्फ शानू (34) को रेलवे कॉलोनी इलाके से गिरफ्तार किया जिससे पूछताछ पर वक्फ नगर दादाबाड़ी निवासी आदिल (29) और छत्रपुरा तालाब विज्ञान नगर निवासी मौहम्मद हुसैन उर्फ बब्लू (34) को गिरफ्तार किया गया। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये बदमाशों ने पूछताछ के दौरान थाना रेलवे कॉलोनी के साथ-साथ दादाबाड़ी, विज्ञान नगर बोरखेड़ा, कैथूनीपोल और कोटा ग्रामीण के सुल्तानपुर से चोरी करने की वारदात को कबूला है। बदमाश कार चोरी करके उनको मॉडिफाई करके तीन से पांच लाख तक कार को बेच देते थे। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये बदमाशों से पूछताछ के आधार पर चोरी की गई सात वाहनो एवं एक ईको कार के इंजन की बरामदगी की है, एसपी ने बताया कि आरोपी इतने शातिर थे कि आरोपियों ने चोरी की गई पांच कारो के इंजन नम्बर, चैचिस नम्बर, और बॉडी मोर्डिफाई कर दी। उन पांच सदिग्ध कारों को भी डिटेन किया गया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

तरीका वारदातः-शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सैययद औसाफ अली उर्फ शानु सूर्य नगर का निवासी है। शहर एसपी ने बताया कि मामले में सामने आया कि सैययद औसाफ अली जो सुलतानपुर में अपनी मौसी के पास रहने के दौरान उस पर कर्जा हो गया और उसके बाद वह कोटा मे रहने लगा और कर्जा अधिक होने और कोई काम नही मिलने पर आरोपी ने 2023 में विज्ञान नगर इलाके से एक कार चुराई और विज्ञान नगर निवासी मोहम्मद हुसैन उर्फ बल्लु को बेच दी, पकड़ा गये आरोपी बल्लू का विज्ञान नगर में ही कार वाशिग व कार रिपेयरिंग का काम है।

ममाले में सामने आया कि आरोपी सैययद औसाफ अली उर्फ शानु, मोहम्मद हुसैन उर्फ बल्लु और आदिल ने तीनों ने मिलकर जल्दी अमीर बनने व शौक को पूरा करने के लिये कारें चोरी की योजनाएं बनाई और ईको कार की डिमांड ज्यादा होने से रात्रि के समय सुनसान स्थानों पर खड़ी ईको कारों को निशाना बनाते थे, और देशी तकनीकी से शानू कारों के लॉक तोड़कर कारों को चुराता था और आदिल, बल्लू को संभला देता था। तीनों आरोपी चोरी हुई कारो के इंजन नम्बर, चैचिस नम्बर बदलकर पुराने कबाड़े की कारों व दुर्घटनाग्रस्त कारों के इंजन नम्बर व चैचिस नम्बर चुराई कारो में लगा देते थे।

भव्य कावड़ यात्रा आज

छबड़ा (निसं)। श्रावण मास के चौथे सोमवार को भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। शिवभक्तो द्वारा पार्वती नदी के पवित्र जल से नागेश्वर बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। कावड यात्रा का जगह-जगह स्वागत द्वार, पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। नागेश्वर मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष गणेश भार्गव के अनुसार आज कस्बे में कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। शिवभक्त कस्बे से सात किलोमीटर दूर गूगोर गांव के समीप प्रवाहित हो रही पार्वती नदी के तट पर पहुंचेगे और वहां पूजा-अर्चना व महाआरती के बाद शिव भक्त पार्वती नदी में सें अपने-अपने पात्रों मे जल को भरकर वहां से पैदल-पैदल भव्य शोभायात्रा के साथ शुरू होंगे।

चेक बाउंस के मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद को जेल भेजा

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने चेक बाउंस के पुराने मामले में फरार चल रहे कांग्रेस के पूर्व पार्षद आनंद पाटनी को रविवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से पूर्व पार्षद को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि पूर्व पार्षद आनंद पाटनी के खिलाफ साल 2015 में एक चेक बाउंस का मामला था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से स्टैंडिंग वारंट प्राप्त हुआ था। पूर्व पार्षद आनंद पाटनी मामले में लम्बे समय से फरार चल रहा था, फरारी काट रहे आरोपी आनंद पाटनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया।